

राजस्थान



सरकार

रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की

धारा 6 (1) के अन्तर्गत सर्वश्री सैफीदान अष्टअक्षर नीडलर्स लिमिटेड के वकीलाल कोषाध्यक्ष

श्रीवत्सलभादरा इन्दर्सिंह राठासिंह भारमलराम अतुलकुमार श्रीनिवास तथा
अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन श्रीनिवास अतुलकुमार

सहकारी समिति लि सैफीदान पर्यायत समिति सैफीदान

पोस्ट ग्राम सैफीदान जिला सुस्तपुर के नाम से स्वीकृत किया गया


तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 24-मार्च-2009 को

क्रमांक 532/एम पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ

जिनका वर्णन आवेदन पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और

समिति के अधिनियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

को जारी किया गया। प्रमाण पत्र नरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 24-3-2009



सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समितियाँ, जैसलमेर

राजस्थान अधिनियम 2001 के अन्तर्गत